न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 40/2020
जीसीएमएस नम्बर :: 2020/00320

अपीलाण्ट :–

1. श्री सोहनलाल पुत्र मगनाराम जाति भाट, निवासी – हाथलाई, तहसील एवं जिला पाली।
2. श्रीमती सुखी धर्मपत्नी श्री ढलाराम, जाति भाट, निवासी – 241, भाटो का बास, नया गांव पाली, तहसील व जिला पाली।
3. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोहनलाल जाति भाट, निवासी – हाथलाई, तहसील एवं जिला पाली।
4. श्री मोहम्मद शरीफ पुत्र श्री अल्लानूर, जाति मुंसलमान लौहार, निवासी – सोमनाथ मन्दिर के पास पाली, तहसील व जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. पन्नालाल पुत्र गुलाब जाति भाट के कायम मुकाम–
   1/1. मोरिया देवी पत्नी पन्नालाल
   1/2. खीमाराम पुत्र पन्नालाल
   1/3.मृत ओमप्रकाश पुत्र पन्नालाल के कायम मुकाम :–
   1/3/1. टीटूदेवी पत्नी ओमप्रकाश
   1/3/2. मुकेश पुत्र ओमप्रकाश
   1/3/3. राहुल पुत्र ओमप्रकाश
   1/3/4. पूजा पुत्री ओमप्रकाश
   1/3/5. रिमा पुत्री ओमप्रकाश
   1/3./6. अन्नू पुत्री ओमप्रकाश
   1/3/7. आरती पुत्री ओमप्रकाश
   1/3/8. अंजली पुत्री ओमप्रकाश
   जातिगण भाट निवासीगण – भाटो का बास, नया गांव पाली, तहसील व जिला पाली।
   1/4. किशनलाल पुत्र पन्नालाल
   1/5. गजेन्द्र पुत्र पन्नालाल
   जातिगण भाट, निवासीगण – भाटो का बास, नया गांव, पाली, तहसील व जिला पाली।
2. कानाराम पुत्र गुलाब, जाति भाट, निवासी – भाटो का बास, नया गांव पाली, तहसील व जिला पाली।
3. लच्छाराम पुत्र गुलाब जाति भाट के का. मु.
   3/1. जमनादेवी पत्नी लच्छाराम
   3/2. अशोक कुमार पुत्र लच्छाराम
   3/3. सज्जनराज पुत्र लच्छाराम
   जातिगण – भाट, निवासीगण – भाटो का बास, नया गांव पाली, तहसील एवं जिला पाली।
   3/4. इन्द्रा पुत्री लच्छाराम पत्नी इसूजी, जाति भाट, निवासी – रेलवे स्टेशन भगवानपुरा तहसील रानी, जिला पाली
   3/5. दरिया पुत्री लच्छाराम पत्नी राजू, जाति भाट, निवासी – जगदम्बा कॉलोनी, नया गॉव, तहसील व जिला पाली।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

3/6. कंचन पुत्री लच्छाराम पत्नी मुकेश, जाति भाट, निवासी– भाटो का बास, नया गॉव पाली, तहसील व जिला पाली।

3/7. नर्बदा पुत्री लच्छाराम निवासी– भाटो का बास, नया गांव पाली, तहसील व जिला पाली।

4. प्रियंका गोदारा पत्नी जितेन्द्र गोदारा, जाति जाट, निवासी – 357, लक्ष्मीनगर पावटा बी. रोड जोधपुर
5. मां सरस्वती शिक्षण संस्था जरिये सचिव श्री हरीकिशन गोदारा पुत्र लादुराम गोदारा, जाति जाट, निवासी – गांव पलासनी, तहसील व जिला जोधपुर
6. मोहम्मद रियाज वल्द इंसाफ जाति बागवान मुसलमान, निवासी – पठान कॉलोनी, नया गॉव पाली, तहसील व जिला पाली।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी), पाली।
8. उप–पंजीयक, पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना
रेस्पो. संख्या 1/1 से रेस्पो. संख्या 1/2, रेस्पो. संख्या 1/4 व रेस्पो. संख्या 1/5 की ओर से अधिवक्ता प्रवीण व्यास, रेस्पो. संख्या 3/1 से रेस्पो. संख्या 3/7, रेस्पो. संख्या 05 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **09.06.2025**

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम पाली चक द्वितीय के नामान्तरकरण संख्या 1762 दिनांक 27.07.2005 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना रेस्पो. संख्या 1/1 से रेस्पो. संख्या 1/2, रेस्पो. संख्या 1/4 व रेस्पो. संख्या 1/5 की ओर से अधिवक्ता प्रवीण व्यास, रेस्पो. संख्या 3/1 से रेस्पो. संख्या 3/7, रेस्पो. संख्या 05 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित वक्त बहस न्यायालय में उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेण्ट्स बाद तामिल न्यायालय समय में बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर वकालतन व असालतन वक्त बहस अनुपस्थित आये। बहस उभपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा पाली चक द्वितीय की सरहद में खसरा नम्बर 468 रकबा 106 बीघा 09 बिस्वा, किस्म बारानी दोयम, कृषि रेस्पोडेण्ट

संख्या 1/1 लगायत 1/5 के पूर्वज पन्नालाल, रेस्पोडेण्ट संख्या 02 कानाराम, रेस्पोडेण्ट संख्या 3/1 लगायत 3/7 के पूर्वज लच्छाराम एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 04 देवाराम के पूर्वज भीमाराम का मिलाकर 1/4 हिस्सा खातेदारी था, खसरा नम्बर 468 मे 1/4 हिस्सा यानी रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा के तत्कालीन खातेदार पन्नालाल, भीमाराम, लच्छाराम, कानाराम पि. गुलाब भाट में से 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदारान रेस्पोडेण्ट संख्या 01 पन्नालाल (रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 लगायत 1/5 का पूर्वज) एवं खातेदार रेस्पोडेण्ट संख्या 02 कानाराम ने अपनी सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा यानि रकबा 13 बीघा 6½ बिस्वा भूमि के खातेदारी अधिकार जरिये रजिस्टर्ड बेचाणनामा दिनांक 02.05.1985 (रजिस्टर्ड दिनांक 03.05.1985) के अपीलार्थीगण के हक–पूर्वाधिकारीयों सहित कुल 113 क्रेतागणों को सुपूर्द किया। उक्त रजिस्टर्ड बेचाणनामा के क्रेता श्री मोहनलाल वल्द मनरूप भाट द्वारा अपनी हिस्सा भूमि अपिलार्थी सोहनलाल को, जनाब फकीर मोहम्मद वल्द जनबा करीम खां द्वारा अपनी हिस्सा भूमि अपीलार्थी सुखी को, छगनलाल वल्द पन्नालाल प्रजापत द्वारा अपनी हिस्सा भूमि अपीलार्थी महेन्द्रकुमार को जरिये अलग–अलग रजिस्टर्ड बेचाणनामा की गई, मोहनदास वल्द शंकरलाल सैन द्वारा अपीलार्थी मोहम्मद शरीफ के पक्ष में आम–मुख्तियारनामा निष्पादन कर नोटरी से तस्दीक करवाया गया। वर्ष 2014 में सक्षम न्यायालय के आदेश की पालना में खसरा सख्या 468 रकबा 106 बीघा 09 बिस्वा भूमि में से 79.16 बीघा भूमि गैर मुमकिन आबादी दर्ज करते हुए नगर परिषद पाली के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 2994 के अमल दरामद की गई। उक्त नामान्तरकरण अनुसार खसरा नम्बर 468 रकबा 79.16 बीघा भूमि नगर परिषद पाली के खाते में तथा शेष रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 468/1 कायम कर रजिस्टर्ड बेचाणनामा दिनांक 02.05.1985 (रजिस्टर्ड दिनांक 03.05.1985) अनुसार अपीलार्थीगण के हक–पूर्वाधिकारियों सहित अन्य क्रेतागणों के पक्ष में नामान्तरकरण भरकर स्वीकृत नही होने के कारण रेस्पोडेण्ट मोरियादेवी बेवा पनालाल, खीमाराम, ओमप्रकाश, किशनलाल, गजेन्द्र पिता पनालाल, देवाराम वल्द भीमाराम, लच्छाराम, कानाराम पिता गुलाब कौम भाट, साकिन नया गॉव के खसरा संख्या 468/1 रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा भूमि को वादग्रस्त भूमि सम्बोंधित किया गया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 लगायत 02 का बहुत अच्छी तरह से जानकारी, ज्ञान एवं ध्यान था और है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 लगायत 1/5 के पूर्वज पन्नालाल एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 कानाराम अपनी सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा रकबा 13 बीघा 6½ बिस्वा भूमि के खातेदारी अधिकारी जरिये रजिस्टर्ड बेचाणनामा दिनांक 02.05.1985 अनुसार अपीलार्थीगण के हक–पूर्वाधिकारीयों सहीत कुल 113 क्रेतागणों को बेचाण हस्तातंरण कर बेचाणसुदा भूमि का वास्तविक भौतिक कब्जा क्रेतागणो को सुपुर्द कर चुके है तथा मौके पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 लगायत 1/5 ने अपीलार्थीगण के हक–पूर्वाधिकारियों सहित कुल 113 क्रेतागणों के पक्ष में उपरोक्त रजिस्टर्ड बेचाणनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नही होने का नाजायज फायदा उठाते हुये हल्का पटवारी के साथ षडयन्त्र करते हुए तथा यह जानते हुये कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 लगायत 1/5 के पति/पिता पन्नालाल एवं रेस्पोडेण्ट कानाराम द्वारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि मे से अपनी सम्पूर्ण हिस्सा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचाणनामा के बएवज प्रतिफल बेचाण हस्तानान्तरण की चुकि है तथा बेचाणसुदा भूमि का वास्तविक भौतिक

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

कब्जा अपीलार्थीगण सहित सभी 13 क्रेतागणों को सुपूर्द किया जा चुका है जो कब्जा क्रेतागण ने मौके पर सम्भाल लिया है, फिर भी बेचाणसुदा वादग्रस्त भूमि मे अपना हिस्सा गलत रूप से खातेदारी होना बताते हुए तथा हल्का पटवारी ने भी यह जानते हुये कि वादग्रस्त भूमि में सक 1/2 हिस्सा एवं कब्जा शेष नही रहा है, फिर भी वादग्रस्त भूमि मे 1/4 हिस्सा का अपीलाधीन म्यूटेशन रेस्पोडेझट संख्या 1/1 लगायत 1/5 के पक्ष में भरकर स्वीकृत करवा दिया, जिससे अपीलार्थीगण को सख्त प्रिज्युडिस हुई। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण इस हद तक विधि–विरूद्ध, शून्य, गलत तथा Ab initio void होने से खारिज फरमावे।

सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 एवं धारा 151 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र हस्ब दफा धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपना विवेचन करना उचित समझते है। प्रकरण में यह अपील तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत विरासत के नामान्तरकरण संख्या 1762 दिनांक 27.07.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त विवादित विरासत के नामान्तरकरण में अपीलाण्ट पक्षकार नहीं है एवं उसके द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 एवं धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया है। जिससे सर्वप्रथम हम उक्त प्रार्थना–पत्र पर विवेचन करना उचित समझते है।

वस्तुतः जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण जो दिनांक 27.07.2005 को पारित किया गया है, उससे अपीलाण्ट को किस प्रकार व्यथित माना जा सकता है पर विचार किये जाने पर अपीलाण्ट कथन करता है कि विवादित भूमि जो कि आराजी संख्या 468 रकबा 106 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि रेस्पो. संख्या 1/1 लगायत रेस्पो. संख्या 1/5 के पूर्वज पन्नालाल, रेस्पो. संख्या 02 कानाराम, रेस्पो. संख्या 3/1 लगायत रेस्पो. संख्या 3/7 के पूर्वज लच्छाराम एवं रेस्पो. संख्या 04 के पूर्वज भीमाराम का मिलाकर 1/4 हिस्सा खातेदारी का था। खसरा संख्या 468 में से 1/4 हिस्सा यानि रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा के तत्कालीन खातेदारान् पन्नलाल व कानाराम ने अपने सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा यानि 13 बीघा 6½ बिस्वा भूमि के खातेधारी अधिकार जरिये रजिस्टर्ड बेचाण दिनांक 02.05.1985 (रजिस्टर्ड दिनांक 03.05.1985) के अपीलार्थीगण के हक पूर्वाधिकारियों सहित कुल 113 लोगो को क्रय कर दिया व इसके बावजूद रेस्पो. संख्या 1/1 लगायत 02 ने आपस में तहसीलदार पाली के समक्ष गलत एवं झूठे तथ्य प्रकट कर जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकृत करवा दिया जो कि काबिले खारिज है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट का प्रमुख उज्र यह रहा कि उक्त रजिस्टर्ड बेचाणनामे की प्रति अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारियों सहित अन्य क्रेतागण ने तत्कालीन हल्का पटवारी को नामान्तरकरण हेतु दे दी थी एवं वे सभी इसी इम्प्रेशन में रहे कि संबंधित हल्का पटवारी द्वारा उक्त बेचाणनामे के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया होगा परन्तु दिनांक 02.11.2020 को रेस्पो. प्रियंका के पति जितेन्द्र गोदारा व रेस्पो. संख्या 06 के सचिव हरीकिशन गोदारा ने वादग्रस्त भूमि में से विशिष्ट हिस्सा भूमि पर बिना विधिनुसार बंटवारा करवाये निर्माण कार्य करवाने हेतु निर्माण सामग्री पत्थर के डलवाये तब उक्त जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी हुई। अतः अपीलार्थीगण को अपील की अनुमति दी जाना न्यायपूर्ण है व प्रार्थना पत्र हस्ब दफा धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमावे।

इसके विपरीत अधिवक्ता विपक्षी के अधिवक्ता अपीलाण्ट के उक्त प्रार्थना–पत्र वास्ते अपील करने की अनुमति दिये जाने बाबत् में वर्णित कथनों का खण्डन करते समय मुख्य उज्र यह रहे कि अपीलाण्ट का उपरोक्त कृषि भूमि में कोई हक–अधिकार नहीं है न ही अपीलाण्ट राजस्व रेकर्ड में उपरोक्त कृषि भूमि के खातेदार है न ही अपीलाण्ट के हित प्रभवित हुए है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता रेस्पो. का एक अन्य उज्र कि अपीलाण्ट ने अपने

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थना–पत्र के पैरा संख्या 03 में जिस रजिस्टर्ड बेचाणनामे का उल्लेख किया है एवं जिस रजिस्टर्ड बेचाणनामे के जरिये स्वयं भूमि खरीदना बताया है, उक्त बेचाणनामे के खरीददार कभी भी उपरोक्त भूमि के खातेदार नहीं रहे है, इस कारण भी अपील पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ ही जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण एक विरासत का नामान्तरकरण है जो एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, इस संक्षिप्त प्रक्रिया में स्वामित्व का निर्धारण नहीं हो सकता, इसलिए अपील पेश काने की अनुमति देना विधिक एवं न्यायसंगत नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र हस्ब दफा धारा 05 मियाद अधिनियम का जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट के द्वारा जैर अपील अपीलाधीन नामान्तरकरण के लगभग 15 वर्ष बाद एवं जिस दस्तावेज के आधार पर स्वयं को क्रेता बता रहे है, के लगभग 35 वर्ष बाद पेश की जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। साथ ही अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने उक्त प्रार्थना–पत्र के पद संख्या 04 में जिस जितेन्द्र सिंह के बारे में दिनांक 02.11.2020 का कथन किया है उनका सन् 2017 में ही देहान्त हो गया है एवं अधिवक्ता अपीलाण्ट का उज्र कि वे दिनांक 04.11.2020 को हल्का पटवारी के पास गये तब उन्हें जैर अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त हुई जबकि अपीलाण्ट ने जिन दस्तावेज के आधार पर यह अपील पेश की है वे दस्तावेज दिनांक 11.12.2020 व दिनांक 15.12.2020 को निष्पादित हुये है। अतः अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हस्ब दफा धारा 05 मियाद अधिनियम में दर्ज कथनों में विरोधाभास है। अतः जैर अपील मियाद बाहर होने से खारिज फरमावे। अपने उक्त कथनों के समर्थन में अधिवक्ता रेस्पो. ने RRT 2003 (2) page no 1212, RRT 2003 (2) page no 1176, RRT 2003 (2) page no 1046, DNJ RAJ 2003(3) page no 1143, RRD 1992 page no 488, RRD 2000 Page no 168, RRT 2011 (2) page no 786, RRT 2009 (2) page no 1180, RRT 2011 (1) page no 421, RRT 2008 (2) page no 1082 न्यायिक नजीरे प्रस्तुत की।

हमारे द्वारा पत्रावली के रिकॉर्ड एवं श्रवणशुदा बहस पर मनन किया एवं विक्रय पत्र दिनांक 03.05.1985 का अवलोकन किया तो यह पाया कि पाली चक संख्या 02 में स्थित विवादित भूमि जो कि आराजी संख्या 468 रकबा 106 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि रेस्पो. संख्या 1/1 लगायत रेस्पो. संख्या 1/5 के पूर्वज पन्नालाल, रेस्पो. संख्या 02 कानाराम, रेस्पो. संख्या 3/1 लगायत रेस्पो. संख्या 3/7 के पूर्वज लच्छाराम एवं रेस्पो. संख्या 04 के पूर्वज भीमाराम का मिलाकर 1/4 हिस्सा खातेदारी का था जिसमें से तत्कालीन खातेदारान् पन्नलाल व कानाराम ने अपने सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा यानि 13 बीघा 6½ बिस्वा भूमि के खातेधारी अधिकार जरिये रजिस्टर्ड बेचाण दिनांक 02.05.1985 (रजिस्टर्ड दिनांक 03.05.1985) के अपीलार्थीगण के हक पूर्वाधिकारियों सहित कुल 113 लोगो को क्रय कर दिया अर्थात् सहखातेदारी की भूमि में से अपीलाण्ट के पूर्वाधिकारी को दो सहखातेदारान् द्वारा अपने हिस्से की 13 बीघा 6½ बिस्वा भूमि का बिना विभाजन किन्हीं 113 अजनबी क्रेताओं को क्षेत्रफल विशेष का भाग विक्रय कर दिया है अर्थात् दो सह खातेदारों द्वारा एक विशिष्ट क्षेत्रफल एवं अवस्थिति का बिना विभाजन विक्रय किया है, वस्तुतः कोई भी सह खातेदार अपनी अविभाजित भूमि में से अपने हिस्से से किसी अवस्थिति विशेष की भूमि का विक्रय नहीं कर सकता क्योंकि प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा होता है। साथ ही अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील मीमों में उक्त 113 क्रेताओं का विवरण नहीं दिया गया है एवं उन समस्त क्रेताओं को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है जो अपने आपमें विस्मयकारी है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाण्ट के पक्ष में जैर आराजी के संबंध में निष्पादित बेचाणनामा है, किन्तु राजस्व रेकर्ड में जिन व्यक्तियों से उक्त भू–खण्ड खरीदे है उनके नाम का इन्द्राज नहीं होने से अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित भी नहीं हो सकता है।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

यहां यह उल्लेख करना भी समीचीन है कि समग्र भूमि में से वर्तमान में 79.16 बीघा जमीन नगर परिषद पाली के नाम भी दर्ज हो चुकी है। अतएव निश्चयात्मक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वर्ष 1985 के तथाकथित क्रेतागणों की भूमि कृषि भूमि है अथवा नगर परिषद के नाम दर्जशुदा भूमि है, क्योंकि उनके द्वारा अविवादित हिस्सा क्रय किया गया है। वर्तमान अपीलाण्ट उन तथाकथित क्रेतागणों से क्रय की है एवं उसमें विशिष्ट भू–भाग क्रय किया है और वह भी बिना विधिक विभाजन के। इन परिस्थितियों में वर्तमान अपीलाण्ट की भूमि का स्वामित्व उनके क्रेतागणों का हो, यह भी स्थापित नहीं होता। तदानुक्रम में विवादित नामान्तरकरण का अपीलाण्ट को नामान्तरकरण की अपील स्तर पर व्यथित पक्षकार माने जाने की कोई उपादेयता, विधिकता एवं तार्किकता किसी भी दृष्टिकोण से प्रकट नहीं होती। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट के विक्रेता भी राजस्व रेकर्ड में रेकर्डेड खातेदार नहीं थे एवं नामान्तरकरण प्रक्रिया एक सरसरी राजवित्तीय प्रकृति की है जिसमें स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अतः तहसीलदार द्वारा लगभग 15 वर्ष पूर्व राजस्व रेकर्ड के अनुसार स्वीकृत किये गये विरासत के नामान्तरकरण से अपीलाण्ट को किस प्रकार से व्यथित माना जा सकता है जब अपीलाण्ट के विक्रेता भी राजस्व रेकर्ड के अनुसार जैर आराजी के खातेदार नहीं थे। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत हस्ब दफा धारा 5 मियाद अधिनियम के पद संख्या 04 में जिस जितेन्द्र सिंह के बारे में दिनांक 02.11.2020 का कथन किया है उनका सन् 2017 में ही देहान्त हो गया है जिसकी ताईद में उन्होंने उक्त जितेन्द्रसिंह का मृत्यु प्रमाण–पत्र पेश किया। उक्त मृत्यु प्रमाण–पत्र का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि जितेन्द्र गोदारा का दिनांक 23.07.2017 को ही देहान्त हो गया था। साथ ही यहां पर अधिवक्ता अपीलाण्ट का उज्र कि वे दिनांक 04.11.2020 को हल्का पटवारी के पास गये तब उन्हें जैर अपीलाधीन विरासत के नामान्तरकरण की जानकारी हुई जबकि अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित दस्तावेज का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि उक्त दस्तावेज दिनांक 11.12.2020 व दिनांक 15.12.2020 को निष्पादित हुये है। इससे स्पष्ट होता है कि दिनांक 04.11.2020 को तो अपीलाण्ट के पक्ष में अपीलाधीन आराजी से संबंधित कोई भी दस्तावेज अस्तित्व में नहीं थे। अतः अपीलाण्ट के उक्त कथनों में विरोधाभास होने से स्पष्ट होता है कि वे जैर अपील में गलत, झूठे व मनगढंत तथ्य दर्ज कर न्यायालय हाजा के समक्ष स्वच्छ हाथों से पेश नहीं आये है। साथ ही अपीलाण्ट जिस विक्रय विलेख के आधार पर न्यायालय हाजा के समक्ष पेश हुए है वह लगभग 35 वर्ष पूर्व का है तथा जिस अपीलाधीन विरासत के नामान्तरकरण को निरस्त करवाने के लिए प्रस्तुत हुए है वह लगभग 15 वर्ष पूर्व का है। उक्त दरमियान जैर आराजी की मौका स्थिति एवं विषयवस्तु में काफी परिवर्तन हो गया है जिसमें अधिकांश हिस्सा तो नगरपालिका की आबादी भूमि में सम्मिलित हो गया है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने जैर अपील लगभग 15 वर्ष के अप्रत्याशित विलम्ब के साथ पेश की है तथा धारा 05 मियाद अधिनियम के आवेदन पत्र में कोई विश्वसनीय, संतोषजनक एवं न्यायोचित कारण नहीं बताया है एवं अपीलाण्ट जैर आराजी में किस तरह से हितबद्ध पक्षकार है, इस संबंध में कोई भी समीचीन तथ्य प्रकट नहीं किये है।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

समग्रतः इन सभी आधारों पर अपीलाण्ट को व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता तथा धारा 96 जाब्ता अधिनियम के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती, साथ ही 15 वर्षों के अप्रत्याशित विलम्ब (जब जैर आराजी की मौका स्थिति भी परिवर्तित हो गई है) को कण्डोन करने का कोई स्पष्ट कारण वर्णित नहीं करने से अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र वास्ते अपील पेश करने की अनुमति बाबत् व प्रार्थना पत्र हस्ब दफा धारा 05 मियाद अधिनियम

स्वीकार नहीं किया जाकर तथा वाद बाहुल्यता के दृष्टिगत अपीलाण्ट की अपील खारिज की जाती है। साथ ही नामान्तरकरण प्रक्रिया एक सरसरी राजवित्तीय प्रकृति की है जिसमें स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, जिसमें अपीलाण्ट चाहे तो अपने स्वत्व के निर्धारण के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली